उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Goverament Undertaking)

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

वेतन एवं लेखा अनुभाग Pay & Accounts

14-Ashok Marg, Shakti Bhawan Lucknow, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या–9290/उ0म0प्र0/पंचम–राज0/वेतन एवं लेखा/सा0वे0पुनरी006 दिनांक–13.नवम्बर 2010

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं–2)
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त उपमहाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषय– **<u>दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप माह 1/06 से 3/09 के अवशेष के भुगतान प्रक्रिया के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों के दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण एवं निर्धारण सम्बन्धी निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं0 175–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे0प्र0–08 दिनांक 19.02.09 का संदर्भ ग्रहण करें।

कारपोरेशन के उक्त आदेश के प्रस्तर–20 (बिन्दु–03 से 05) में दिनांक 01 जनवरी 2006 से मार्च 2009 तक के अवशेष भुगतान की प्रक्रिया यद्यपि निर्धारित है तथापि इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय/क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृत्त/दिवंगत होने की दशा में अवशेषों के आहरण/भुगतान की कार्यवाही/प्रक्रिया के सम्बन्ध में कतिपय जिज्ञासायें प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में अधोलिखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:–

1. सेवारत कार्मिकों के माह 01/06 से 03/09 के मध्य की अवधि के अवशेषों का भुगतान जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खातों में हस्तान्तरण के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों यथा 01 अक्टूबर 2010, 01 अक्टूबर 2011, 01 अक्टूबर 2012 एवं 01 अक्टूबर 2013 को सम्बन्धित कार्मिकों की तैनाती जिस कार्यालय/इकाई में होगी उसी कार्यालय/इकाई विशेष द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अवशेषों का आहरण/भुगतान सम्बन्धित कार्मिकों के जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खाते में जमा के माध्यम से कराया जायेगा।

2 ऐसे कार्मिक जो स्थानान्तरण के फलस्वरूप किसी इकाई व कार्यालय से अवशेषों के आहरण एवं भुगतान हेतु निर्धारित तिथि यथा 01 अक्टूबर से पूर्व कार्यमुक्त होते है तथा नवतैनाती कार्यालय/इकाई में उक्त निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते है उस दशा में अवशेषों का भुगतान/आहरण नवतैनाती कार्यालय/इकाई द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 खाते में जमा के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त कार्यवाही के लिए पूर्व तैनाती कार्यालय/इकाई के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक विशेष के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में यह अंकन किया जायेगा कि उक्त कार्यालय/इकाई के स्तर से सम्बन्धित वर्ष विशेष के अवशेषों का आहरण/भुगतान/समायोजन नही किया गया है उक्त प्रमाणन के पश्चात ही नवतैनाती कार्यालय/इकाई द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जायेंगी।

क्रमशः–2

3. ऐसे अधिकारियों जिनका स्थानान्तरण किसी अन्य कार्यालय में जिसके पक्ष में वेतन पुनरीक्षण का वेतन प्राधिकार पत्र निर्गत नही है, में हो गया हो तो उनके सम्बन्ध में अवशेषों के आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को वेतन एवं लेखा अनुभाग से निर्गत वेतन प्राधिकार पत्र की मूल प्रति एवं छायांकन प्रमाणित प्रति दोनों को संलग्न करते हुए अवशेष का बीजक वर्तमान तैनाती कार्यालय में इस प्रमाणक के साथ प्रस्तुत करना होगा कि उक्त अवशेष का बीजक उसके द्वारा पूर्व में आहरण हेतु नही प्रस्तुत किया गया है एवं न ही अवशेष का आहरण हुआ है। वर्तमान तैनाती कार्यालय/इकाई के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वेतन प्राधिकार पत्र की मूल प्रति को यथा आवश्यक जॉच/सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।
4. ऐसे कार्मिक जो माह 01/06 से 10/2013 के मध्य किसी तिथि को सेवानिवृत्त/दिवंगत अथवा अन्य किसी कारण से सेवा से अलग हुए है उनके सेवानिवृत्त/दिवगंत अथवा अन्य किसी कारण से सेवा से अलग होने के पश्चात के देय निर्धारित वित्तीय वर्षो के अवशेष का भुगतान सेवानिवृत्त किये जाने वाली इकाई द्वारा आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुधांशु द्विवेदी)
उपमहाप्रबन्धक(लेखा एवं प्रशासन)

संख्या– /उ0म0प्र0/पंचम–राज/तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण नि0लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण नि0लि0,मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण नि0लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण नि0लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1 एवं 2) उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, बी0–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. अनुसचिव(सचिवालयप्रशासन)/सचिवालयप्रशासन–लेखा)उ0प्र0पा0का0लि0,शक्तिभवन, लखनऊ
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

13/11/10

(सुधांशु द्विवेदी)
उपमहाप्रबन्धक(लेखा एवं प्रशासन)